

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## प्रपत्र-6

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	कमलेश व्यास, एबीईईओ (व्या.) बी.ई.ई.ओ रोहट पाली	राजस्थानी	16.07.57	31.07.16
2	सुरेश चन्द शर्मा व्या. राउमावि सकट, राजगढ-अलवर	अर्थशास्त्र	30.08.56	31.08.16

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिको के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


  
(बी.एल स्वर्णकार)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर  
दिनांक 11/7/16

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/सेवानिवृत्त/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
- 3 प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक राउमावि/राबाउमावि/को निर्देशित किया जाता है कि व्याख्याता से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है 10 रुपये के स्टाम्प पर प्रमाणपत्र प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करे।
- 4 अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 5 सम्बन्धित कार्मिक
- 6 निजी एवं रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## प्रपत्र-6

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा डाईट-धौलपुर	अर्थशास्त्र	01.08.53	31.07.13

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल. स्वर्णकार)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक // 6 / 2016

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/ सेवानिवृत्त /2016/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
- 3 प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक राउमावि/राबाउमावि/को निर्देशित किया जाता है कि व्याख्याता से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है 10 रुपये के स्टाम्प पर प्रमाणपत्र प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करे।
- 4 अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 5 सम्बन्धित कार्मिक
- 6 निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर